

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (खैरबल-तिजारा)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
	<p align="center">* अर्जिन/जम प्रक्रिया *</p> <p>27/02/24 - वकील वारी उषा अ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उपखण्ड के अंतिम उप. आयन्दा दिनांक <u>7-5-24</u> को पेश हो।</p> <p align="center">✍</p>
	<p>2/5/24 - वकील वारी उषा अ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उपखण्ड के अंतिम उप. आयन्दा दिनांक <u>25/6/24</u> को पेश हो।</p> <p align="center">✍</p>
	<p>25-6-24 वकील वारी उषा अ. साहब की तस्वीर है तबबाना आज भी पेश नहीं किया है मैं क्रमिक दिने जा चुके हैं। न्यायस्थ में अंतिम मौका दिया जाकर आयन्दा दिनांक 25/6/24 को पेश हो। ✍</p>
	<p>3/7/24 - वकील वारी उषा अ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उपखण्ड के अंतिम उप. आयन्दा दिनांक <u>5-11-24</u> को पेश हो।</p> <p align="center">✍</p>
30/1/24	<p>वकील वारी उषा अ. साहब वारी आज भी तबबाना पेश करने को मौका -चाहते हैं। न्यायस्थ में एक अवसर दिया जाया है अ-नया पेश नये क्रमिक में वारिस का दिया जावेगा। तबबाना पेश करने तबबाना दि. 01/01/25 को पेश हो। ✍</p>
30/1/25	<p>वकील वारी उषा अ. साहब वारी तबबाना पेश करने को मौका चाहे हैं। -न्यायस्थ में एक अंतिम अवसर दिया जाकर तबबाना पेश करने तबबाना दि. 01/01/25 को पेश हो। ✍</p>
30/1/25	<p>वकील वारी उषा अ. साहब वारी तबबाना पेश करने को मौका-चाहते हैं। अन्य दि. 25/1/25 को पेश हो। ✍</p>
21/5/2025	<p>21/5/2025 - वकील वारी उषा अ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उपखण्ड के अंतिम उप. आयन्दा दिनांक <u>21/05/2025</u> को पेश हो।</p> <p align="center">✍</p>
21/5/25	<p>वकील वारी उषा अ. साहब वारी आज भी तबबाना पेश करने को अवसर-चाहते हैं। अन्य दिनांक 25/5/25 को पेश हो। ✍</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (केरवल-तिजारा)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
<p>25/6/25 रिटिकाप 25-6-25</p>	<p>वकील वादी उप- वकील वादी आज भी तलबाना पेश करने हेतु मौजा चाहते हैं न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर आयुक्त रूप से तलबाना पेश करें, अन्यथा वाद नॉन कम्प्लेक्स में खारिज कर दिया जावेगा। पत्रावली नं. 71/2025 को पेश है।</p>
<p>07/07/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने आज भी तलबाना हेतु तलबाना पेश नहीं किया। पूर्व में हुई अवसर दिने जा चुके हैं। अतः दावा वादी नॉन कम्प्लेक्स में खारिज किया जाता है। पत्रावली नं. 71/2025 को पेश है।</p>